न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार ..इन्द्रगढ़...... (बून्दी)

सरकार बनाम / जाहिद हुसैन / नूर मोहम्मद जाति मुसलमान नि० मारखीडा

निर्णय

मु.नं. 31/2018 तारीख रजू 15-1-2018 तारीख निर्णय 29/11/2018

आज पत्रावली व मुकाम खुला केम्प मारखीडा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी गांव मारखीडा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री जाहिद हुसैन पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मारखीडा द्वारा आराजी खसरा नं. 548 रकबा 0.50 किस्म जमीन नहरी II मौजा मारखीडा पर संवत 2074 में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामील मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री जाहिद हुसैन को आराजी खसरा नं. 548 रकबा 0.50 मौजा मारखीडा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 12.00 से उक्त रकबा लगान 6.00 का 50 गुना में शास्ति 300 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

दिनांक 29/11/2018

नायब तहसीलदार

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील इन्द्रगढ़